पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1640
दिनांक 11.07.2025

जोन- दक्षिणी/थाना- बंथरा

- **हत्या के प्रकरण में वांछित व फरार चल रहे 01 नफर शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **थाना बंथरा पुलिस टीम व सर्विलांस टीम जोन दक्षिणी की संयुक्त टीम की सफलता।**

01-कार्यवाही विवरण-

थाना बन्थरा जनपद लखनऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 208/2025 धारा 103(1)/238(क)/3(5) बीएनएस से सम्बन्धित मृतक सिद्धी प्रसाद उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम दरियापुर मजरा गढी चुनौटी थाना क्षेत्र बंथरा लखनऊ की योजनाबद्ध तरीके से अपने सहअभि0गण आकाश उर्फ लकी व मंजू देवी के साथ मिलकर हत्या करने व आलाकत्ल/शव को छिपाने की घटना कारित करने वाले एवं काफी समय से फरार चल रहे **अभियुक्त संजय कश्यप** पुत्र जुग्गीलाल निवासी ग्राम सुदीया सकरौरा थाना करनैलगंज जिला गोण्डा उम्र करीब 26 वर्ष को बंथरा पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अभि0 को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।

02-घटना का संक्षिप्त विवरण –

ग्राम दरियापुर मजरा गढी चुनौटी थाना क्षेत्र बंथरा लखनऊ के रहने वाले मृतक सिद्धी प्रसाद उम्र करीब 40 वर्ष की दिनांक 24/25.05.2025 की रात्रि मृतक के घर पर मृतक की पत्नी श्रीमती मंजू देवी व उसके प्रेमी आकाश वर्मा उर्फ लकी पुत्र ओम प्रकाश नि0 ग्राम नरपतखेड़ा थाना पारा जनपद लखनऊ तथा आकाश के दोस्त संजय कश्यप पुत्र जुग्गीलाल निवासी ग्राम सुदीया सकरौरा थाना करनैलगंज जिला गोण्डा तीनों के द्वारा मिलकर हत्या करके मृतक सिद्धी प्रसाद के शव को मृतक के घर के पीछे स्थित तालाब के सूखे गड्डे में फेंक दिया गया था तथा हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल रस्सी एवं लोहे की पाईप को छुपाने के उद्देश से अभियुक्त आकाश वर्मा उर्फ लकी द्वारा दरियापुर नगवा नाला के पास फेंक दिया गया था।

जिसके पश्चात मृतक की पत्नी द्वारा मनगढ़न्त तहरीर देकर थाना स्थानीय पर दिनांक 25.05.25 को मु0अ0सं0 208/2025 धारा 103(1) बीएनएस बनाम अज्ञात के पंजीकृत कराया गया था।

जिसकी विवेचना प्र0नि0 बंथरा राणा राजेश कुमार सिंह द्वारा की जा रही थी। अभियोग में साक्ष्य संकलन के आधार पर घटना का खुलासा होने के पश्चात **अभियुक्त आकाश वर्मा उर्फ लकी की निशादेही पर आलाकत्ल पुलिस द्वारा बरामद करने के बाद आकाश वर्मा उर्फ लकी व श्रीमती मंजू देवी को दिनांक 04.06.25 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था एवं अभियोग उपरोक्त में धारा 238(क)/3(5) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी थी।** तथा काफी समय से अभियुक्त संजय कश्यप फरार चल रहा था।

उल्लेखनीय है कि आकाश वर्मा उर्फ लकी एवं मंजू देवी के मध्य अवैध प्रेमप्रसंग था जिसके चलते दोनो ने मंजू देवी के पति सिद्धी प्रसाद को रास्ते से हटाने के लिये मारने की योजना बनायी तथा आकाश वर्मा द्वारा उक्त हत्या को अंजाम देने के लिये अपने दोस्त संजय कश्यप को 40 हजार रूपये देने का लालच देकर हत्या के लिए राजी किया गया था जिसमें एडवांस के रूप में 5 हजार रूपये नगद आकाश ने मंजू देवी से संजय कश्यप को दिलाये थे तथा शेष रूपये हत्या के बाद में देने को कहा था।

दिनांक 24.05.2025 को मंजू देवी के घर पर परिवारीजन शादी मे गये हुए थे जिसका फायदा उठाकर तीनो ने मृतक की हत्या के लिए सही अवसर पाकर योजनाबद्ध तरीके से मृतक के घर पर मृतक सिद्धी प्रसाद को पन्नी की रस्सी से गला कसकर हत्या कर दिया गया व शव को घर के पीछे स्थित तालाब के सूखे गड्डे में फेक दिया गया था व लोहे के पाईप से मृतक के सिर पर वार किया गया था ताकि सिद्धी प्रसाद जिन्दा ना बच सके और घटना करने के बाद आलाकत्ल छिपाकर अभि0गण मौके से भाग गये थे। थाना बन्थरा पुलिस द्वारा काफी दिनों से वांछित/फरार अभि0 संजय कश्यप की तलाश की जा रही थी।

जिसके क्रम में दिनांक 10.07.2025 को मैनुअल व टैक्निकल साक्ष्यों के आधार पर अभि0 संजय कश्यप को दिनांक 10.07.2025 स्थान सोनिया विहार दूसरा पुस्ता प्रान्त दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। गिर0शुदा अभियुक्त को नियमानुसार कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 11.07.2025 को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त संजय कश्यप पुत्रस्व0 जुग्गीलाल निवासी ग्राम सुदीया सकरौरा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा उम्र करीब 26 वर्ष द्वारा बताया गया कि आकाश वर्मा उर्फ लकी मेरा दोस्त है। संजय कमला पसन्द फैक्ट्री नादरगंज अमौसी में काम करता था तथा इसकी मुलाकात आकाश उर्फ लकी से नमकीन महेश कम्पनी मे हुई थी जब से ये लोग दोस्त हैं। मै कमरा लेकर किराये पर सीपेट चौराहा शराब ठेके के पास नादरगंज में रहता था।

आकाश उर्फ लकी नें पैसों का लालच देकर सिद्धी प्रसाद की हत्या करने की योजना हम लोगो ने मिलकर बनायी। आकाश उर्फ लकी नें मुझे 40 हजार रूपये देने की बात कही जिसपर हम सिद्धी प्रसाद की हत्या के लिए राजी हो गये और एडवांस में आकाश ने मंजू देवी से हमको 5 हजार रूपये दिलवाये थे शेष पैसा बाद में देने को कहा था।

हत्या की घटना के बाद मै काफी डर गया था जिसकी वजह से मै पुलिस की गिरफ्तारी से बचने हेतु दिल्ली भाग गया था। तथा घटना दिनांक 24/25.05.2025 वाली रात को मैने पुलिस को चकमा देने के लिये अपना एयरटेल के सिम को अपने फोन वीवो से निकालकर दूसरे कीपैड फोन में डाल लिया था और घटना के बाद से मैने कीपैड फोन को बन्द कर दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता/व्यवसायः-

1-अभियुक्त संजय कश्यप उम्र करीब 26 वर्षपुत्रस्व0 जुग्गीलाल निवासी ग्राम सुदीया सकरौरा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

आपराधिक इतिहासः-

01-मु0अ0सं0208/2025 धारा 103(1)/238(क)/3(5) बीएनएस थाना बंथरा लखनऊ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 अर्जुन राजपूत चौकी प्रभारी हरौनी थाना बन्थरा लखनऊ,
2. उ0नि0 श्याम जी मिश्रा थाना बन्थरा लखनऊ,
3. आरक्षी देवेन्द्र कुमार थाना बन्थरा लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1641
दिनांक 11.07.2025

जोन- पश्चिमी/ थाना-काकोरी

- **जमीनी विवाद को लेकर रंजिशन फँसाने के उद्देश्य से षड़यन्त्र रचकर स्वयं के द्वारा अपने बायें कन्धे पर तमन्चे से गोली मारने वाले अभियुक्त एवं सहयोगी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त द्वारा घटना में प्रयुक्त 01 अदद तमन्चा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस को किया बरामद।**
- **थाना काकोरी पुलिस टीम की कार्यवाही।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 08.07.2025 को आकाश यादव उर्फ आर्यन सिंह यादव पुत्र स्व0 योगेन्द्र यादव उर्फ मंगलू यादव निवासी ग्राम मौदा थाना काकोरी लखनऊ के द्वारा स्वयं के ऊपर दो अज्ञात बाइक सवार व्यक्तियो द्वारा तमन्चे से गोली मार कर जानलेवा हमला करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया **जिसके आधार पर मु0अ0सं0 232/2025 धारा 109 बीएनएस पंजीकृत किया गया था।** प्रभारी निरीक्षक काकोरी मय पुलिस व चौकी प्रभारी समदा के द्वारा घटना स्थल पहुँचकर निरीक्षण करते हुए अन्य जानकारी की गयी।

वादी मुकदमा आकाश यादव को साथ लेकर घटना स्थल पहुचकर घटनास्थल के संबंध में पूछताछ की गयी तो वादी मुकदमा द्वारा अपने बाग में भिन्न-भिन्न जगह पर ले जाया गया और वही पर घटना होने के बारे में जिक्र किया,किन्तु बताये गये स्थान पर न तो किसी तरह का मानव रक्त और न ही कोई खोखा कारतूस पाया गया एवं मेड़िकल प्रपत्रो के अवलोकन से पाया गया है कि वादी मुकदमा के कन्धे में लगी गोली शार्ट रेन्ज से चली है, जिस कारण वादी मुकदमा के बाये कन्धे में लगी गोली के निशान के चारो तरफ ब्लैक्निंग आयी हुई है जिसकी पुष्टि मेडिकल प्रपत्रो में स्पष्ट रुप से ब्लैक्निंग अंकित करते हुए की गयी है। गोली शार्ट रेन्ज से लगी है तथा वादी मुकदमा के द्वारा दिये गये बयान व पूछताछ में भी भिन्नता पायी गयी।

जिस पर वादी मुकदमा से मेडिकल प्रपत्रो को दिखाते हुए कढाई पूछताछ की गयी तो बताया कि कुछ दिन पूर्व राजू यादव के भाई आशीष यादव के द्वारा मेरी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की गयी थी। जिस पर मैंने थाने पर आशीष के खिलाफ मुकदमा लिखवाया था आशीष यादव व राजू यादव मेरे फुफुरे भाई है। मेरी बुआ रामावती ने मेरे बाबा नारायण को अपने साथ अपनी ससुराल में कुछ दिन रखकर उनसे जमीन वसीयत करा लिया था और राजेश्वरी देवी को जब जानकारी हुई कि मेरे हिस्से की जमीन की भी वसीयत हो गयी है तो अपना हक मांगने के लिए राजेश्वरी देवी गयी, इस पर राजू यादव व उनके परिजनो नें बहुत भला बुरा कहा था।

तभी मैंने ठाना था कि इस सम्पत्ति को इनको आसानी नें हडपने नही दूंगा और इस बात से मैं इनसे रंजिश मानने लगा व इनको फसाने की कोशिश करने लगा, तब मैंने राजू यादव व आशीष यादव को कहा था कि यदि तुम राजेश्वरी के हिस्से की जमीन मेरे नाम नहीं करोगे तो मैं तुमको जिन्दगी भर जेल में सडवा दूँगा।

मैंने दिनांक 08.07.2025 को जब आम की फसल लगभग खत्म हो गयी थी और शाम के वक्त बाग में कोई नही था तो उपयुक्त समय देखकर राजू यादव को लम्बे समय के लिए जेल पहुचाने के उद्देश्य से अपने बाग के साझेदार दीवान के साथ मिलकर षड़यन्त्र रचकर स्वयं के द्वारा अपने बाये कन्धे पर 315 बोर के तमंचे से गोली मार ली थी और अपने बाग के साझेदार दीवान के साथ मिलकर तमंचा और कारतूसो को बाग के किनारे बनी दीवार की नीव में छिपा दिया था।

काकोरी पुलिस टीम द्वारा घटना के सह अभियुक्त दीवान पुत्र स्व0 कालिका निवासी ग्राम मौदा थाना काकोरी लखनऊ से कढाई से पूछताछ की गयी तो बताया कि सम्पत्ति के लालच में मैं भी आकाश यादव की बातो में आ गया था व षडयन्त्र में शामिल होकर उसका घटना में सहयोग किया था।

अभियुक्त आकाश यादव व दीवान उपरोक्त को मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्यों के आधार धारा 109 बीएनएस की घटोत्तरी एवं धारा 308(7)/217/61(2)बीएनएस व अवैध तमंचा व कारतूस तथा अवैध तमंचे के प्रयोग के आधार पर धारा 3/25/27 आयुध अधि0 की बढोत्तरी करते गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

<u>02-अपराध का उद्देश्यः-</u>

अभियुक्तगण द्वारा जमीनी विवाद को लेकर रंजिशन फँसाने के उद्देश्य से स्वयं के गोली मार लेना।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1. आकाश यादव उर्फ आर्यन यादव पुत्र स्व0 योगेन्द्र सिंह उर्फ मंगलू निवासी मौंदा थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष।
2. दीवान पुत्र स्व0 कालिका निवासी ग्राम मौदा थाना काकोरी लखनऊ उम्र करीब 70 वर्ष।

04-बरामदगीः-

- अभियुक्त द्वारा घटना में 01 अदद तमंचा .315 बोर,02 अदद जिंदा कारतूस, 01 अदद खोखा कारतूस,।

05-काकोरी पुलिस टीम—

3. प्रभारी निरीक्षक सतीश राठौर कोतवाली काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ
4. उ0नि0 श्री सुधीर कुमार कोतवाली काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ
5. उ0नि0 श्री सावन्त कुशवाहा कोतवाली काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ
6. उ0नि0 श्री शिवम बिधूडी कोतवाली काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ
7. हे0का0 अजय यादव कोतवाली काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ
8. हे0का0 अनिल उत्तम कोतवाली काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ
9. का0 सुरेन्द्र यादव कोतवाली काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1643
दिनांक-11.07.2025

जोन- उत्तरी / थाना मलिहाबाद

लखनऊ पुलिस की त्वरित कार्यवाही: पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम: नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में 24 घंटे के भीतर आरोप पत्र (Chargesheet) दाखिल।

- **विवेचक, सहायक पुलिस आयुक्त, मलिहाबाद द्वारा नाबालिग लडकी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा दर्ज होने के, अन्दर 24 घण्टे में आरोप पत्र लगाया गया ।**
- **माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करने हेतु प्रेषित किया गया साथ ही साथ अभियोग का विचारण हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने हेतु उच्चाधिकारीगणों को रिपोर्ट प्रेषित की गयी।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 10.07.2025 को ग्राम रूपनगर थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ में वादिनी मुकदमा की पुत्री उम्र 07 वर्ष ग्राम रूपनगर स्थित ट्यूबबेल में नहाने गयी थी वही पर अभियुक्त सूचित यादव पुत्र सुशील यादव नि0 ग्राम माधवपुर थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ मौजूद था ट्यूबबेल नहाते समय अभियुक्त द्वारा नाबालिग लडकी का मुँह दबाकर कमरे में ले जाकर वादिनी मुकदमा की पुत्री के साथ बलात्कार किया गया, जिसके सम्बन्ध में वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 157/2025 धारा 65(2) बीएनएस 5m/6 पोक्सो एक्ट व 3(2)v sc/st act थाना मलिहाबाद लखनऊ** बनाम सूचित यादव पुत्र सुशील यादव नि0 ग्राम माधवपुर थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ के विरूद्ध पंजीकृत किया।

अभियोग उपरोक्त में आरोपी अभियुक्त सूचित यादव को थाना मलिहाबाद पुलिस टीम द्वारा अन्दर 10 घण्टे मे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

उच्चाधिकारीगणों के आदेशों निर्देशों के क्रम में विवेचना का शीघ्र निस्तारण विवेचक सहायक पुलिस आयुक्त मलिहाबाद लखनऊ महोदय द्वारा करते हुये मुकदमा उपरोक्त में अन्दर 24 घण्टे में अभियुक्त सूचित यादव उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र लगाया गया साथ ही साथ उच्चाधिकारीगणों को उक्त अभियोग के विचारण हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट में दिन प्रतिदिन सुनवाई हेतु पत्राचार किया गया तथा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल करने हेतु प्रेषित की गयी ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1642
दिनांक 11/07/2025

जोन- दक्षिणी/ थाना- मोहनलालगंज

- **घोखाधड़ी पूर्वक फर्जी रजिस्ट्री करने में गवाही देने वाले 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर भूस्वामी की जगह किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत कर फर्जी रजिस्ट्री करने के षड़यन्त्र में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा फर्जी गवाही दी गयी।**
- **थाना मोहनलालगंज पुलिस टीम की सफलता ।**

01-कार्यवाही :-

थाना मोहनलालगंज पुलिस टीम द्वारा धोखाधड़ी का षडयन्त्र करने वाले फर्जी रजिस्ट्री के गवाह को गिरफ्तार किया गया।

02-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28/02/25 को शिकायतकर्ता श्री रईश मोहम्मद पुत्र श्री मुन्ना नि0 कटरा बक्कास थाना सुशान्त गोल्फ सिटी द्वारा सूचना दिया गया कि प्रार्थी की भूमि गाटा संख्या-201/0.089 हे0 व 202/0.101 हे0 कुल दो स्थित ग्राम बक्कास का मालिक है। दिनांक -28.11.2024 को एक गार्ड द्वारा बताया गया कि उक्त जमीन कम्पनी ने खरीद लिया है अब इस पर खेती मत करना ।

जिसके उपरान्त प्रार्थी द्वारा तहसील मोहनलालगंज से जानकारी की गयी तो पाया गया कि दिनांक-16.04.2024 को उपनिबन्धक मोहनलालगंज, लखनऊ के समक्ष प्रार्थी की जगह किसी जालसाज रईस मोहम्मद पुत्र मुन्ना निवासी ग्राम कटरा बक्कास प्रार्थी के स्थान पर खड़े होकर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर कथित विकास सिंह पुत्र एम0पी0 सिंह निवासी-3/308 विनीत खण्ड गोमतीनगर लखनऊ को समक्ष गवाहन **नम्बर- 1 रमेश कुमार** पुत्र मायाराम निवासी बल्ला साईखेड़ा, परीवन जिला बाराबंकी **02- सत्य नरायण** पुत्र गया प्रसाद निवासी-भेडहनखेड़ा, हसनपुर खेवली तहसील सरोजनी नगर, लखनऊ कर दिया । इस सूचना पर थाना मोहनलालगंज में मु0अ0स0 59/25 धारा 419/420/467/468/471 IPC पंजीकृत किया गया।

प्राप्त साक्ष्यों एवं दस्तावेज़ों के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अभियुक्त **रईश मोहम्मद पुत्र मुल्लन**, निवासीग्राम धमेडी, थाना रामनगर, जनपद बाराबंकी, उम्र लगभग 53 वर्ष, द्वारा धोखाधड़ी एवं छलपूर्वक**वादी रईश मोहम्मद पुत्र मुन्ना**, निवासी **कटरना बक्कास, थाना सुशांत गोल्फ सिटी, जनपद लखनऊ** के नाम से **फर्जी आधार कार्ड** तैयार कराया।

उक्त कूट रचित दस्तावेज के माध्यम से अभियुक्त रईश ने योजनाबद्ध तरीके से दिनांक **16.04.2024** को **तहसील मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ** में उपस्थित होकर, **गवाहान रमेश एवं सत्य नारायण** के समक्ष फर्जी तरीके से विकास सिंह पुत्र एम0पी0 सिंह निवासी-3/308 विनीत खण्ड गोमतीनगर लखनऊ को भूमि विक्रय कर दिया गया।

प्राप्त दस्तावेज़ीय साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त **रईश मोहम्मद पुत्र मुल्लन**, निवासी ग्राम धमेडी, थाना रामनगर, जनपद बाराबंकी, उम्र लगभग 53 वर्ष को दिनांक 21.05.25 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। उक्त षडयन्त्र में शामिल फर्जी रजिस्ट्री के गवाहन रमेश व सत्य नारायण की तलाश की जा रही थी। अभियुक्तगण फरार चल रहे थे।

आज दिनांक 11/07/25 को फर्जी रजिस्ट्री के गवाह रमेश एंव सत्य नारायण को पूरनपुर किसान पथ पुल थाना मोहनलालगंज से गिरफ्तार किया गया। जिन्हे जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सत्यनारायण पुत्र स्व0 गया प्रसाद निवासी भेडहन खेडा, पो0 हसनपुर खेवली, थाना गोल्फ सिटी, जनपद लखनऊ, उम्र करीब 32 वर्ष, व्यवसाय- पेंटर
2. रमेश कुमार पुत्र स्व0 मायाराम निवासी बल्ला साई खेडा थाना लोनीकटरा जनपद बाराबंकी, उम्र करीब 39 वर्ष, व्यवसाय- कोई नहीं।

आपराधिक इतिहास---

01-मु0अ0स0 59/25 धारा 419/420/467/468/471 IPC थाना मोहनलालगंज लखनऊ।

गिरफ्तारी टीम—

1. उ0नि0 श्री बीर बहादुर दूबे
2. उ0नि0 श्री अतुल सिंह
3. का0 विकास जायसवाल

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1644

दिनांक-11.07.2025

जोन- पूर्वी/ थाना- विभूतिखण्ड

- **01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त द्वारा एवियान्स डेवलपर्स एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी खोलकर जनता के लोगों को जमीन देने के नाम पर लाखों रुपयों का गबन किया गया तथा पैसा/प्लाट वापस मांगने पर ना तो प्लाट दिया गया ना ही पैसा वापस किया गया।**
- **थाना विभूतिखण्ड पुलिस की कार्यवाही।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 05.07.2024 को वादी मुकदमा डा0 अरविन्द कुमार उपाध्याय पुत्र श्री जय नारायण उपाध्याय एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय लखनऊ के प्रार्थना-पत्र बाबत विपक्षी द्वारा जमीन देने के नाम पर लाखों रुपयों का गबन करने तथा पैसा वापस मांगने पर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने इत्यादि के संबंध में थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 0223/24 धारा 352/409/420/504/506 भादवि** बनाम संजय कुमार वर्मा डायरेक्टर (मालिक) एविएन्स डेवलेपर्स एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था।

उक्त घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया था, गठित टीम द्वारा टेक्निकल व मैनुअल साक्ष्यों से यह तथ्य प्रकाश में आया कि विपक्षी कम्पनी एवियान्स डेवलपर्स एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी के डायरेक्टर संजय कुमार वर्मा उपरोक्त व अन्य द्वारा जनता के लोगों से जमीन देने के नाम पर लाखों रुपयों का गबन किया गया। दौरान विवेचना अभियुक्त संदीप वर्मा डायरेक्टर का नाम प्रकाश में आया।

दिनांक 10.07.2025 को घटना में संलिप्त वांछित अभियुक्त संदीप वर्मा को थाना क्षेत्र कूरेभार जनपद सुल्तानपुर से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। पकड़े गये अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

02-अपराध का उद्देश्य:-

उक्त वांछित अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के मिलकर वादी मुकदमा से प्लाट/जमीन के नाम पर रजिस्ट्री कर लाखों रुपयों का गबन किया गया प्राप्त से पैसों से अपने निजी शौक पूरा करते थे।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1. संदीप वर्मा पुत्र जगनारायण वर्मा निवासी ग्राम पटना सैद खानपुर थाना कुरेभार जिला सुल्तानपुर उम्र 32 वर्ष

04- अनावरित अभियोग का विवरण—

1. मु0अ0सं0 0223/24 धारा 352/409/420/504/506 भादवि, थाना विभूतिखण्ड लखनऊ

नोटः- अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी अन्य जनपद/इकाई/थाने से की जा रही है।

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ.नि. श्री आसित कुमार यादव,
2. उ.नि. श्री राजेश कुमार यादव,
3. कां. दुर्गेश सिंह।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.- 1645

दिनांक–11-07-2025

प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक 11.07.2025 को एक स्थानीय समाचार पत्र में "पुलिस बेबस, छह माह में 341 लूट" शीर्षक से प्रकाशित खबर न सिर्फ **भ्रामक व असत्य है अपितु निराधार, और जनता में भय का वातावरण उत्पन्न करने वाला है।**

उपरोक्त समाचार में दर्शाया गया है कि छह माह में जनपद में कुल 341 लूट की घटनाये घटित हुयी है, जिसमें क्रमश: मध्य जोन में कुल-110, पूर्वी-जोन में 89, उत्तरी जोन 55, दक्षिणी जोन में 38, और पश्चिमी जोन में 32 लूट की घटनाये इन में हुयी है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 01-01-2025 से अब तक जनपद में कुल 107 लूट एवं स्नैचिंग (स्नैचिंग के अन्तर्गत मोबाइल/पर्स/चैन स्नैचिंग) घटनाये घटित हुयी है , **जिनका जोनवार विवरण निम्नवत है-**

- **मध्य जोन में कुल 24 घटनायें** घटित हुयी है, इनमें से संलिप्त अभियुक्तों की जानकारी कर पुलिस मुठभेड के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के साथ- साथ कुल **29 अभियुक्तों को गिरफ्तार** कर उनके कब्जे से **401700/-रू0 की सम्पत्ति बरामद** की गयी।
- इसी प्रकार अन्य जोन में क्रमश: **पूर्वी में कुल 19 घटनायें** घटित हुयी है, इनमें पुलिस पुलिस मुठभेड के दौरान 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के साथ-साथ कुल **37 अभियुक्तों को गिरफ्तार** कर उनके कब्जे से **821200/-रू0 की सम्पत्ति बरामद** की गयी।
- **उत्तरी जोन में कुल 12 घटनायें** घटित हुयी है, घटना में संलिप्त अभियुक्तों की जानकारी कर पुलिस पुलिस मुठभेड के दौरान 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के साथ-साथ कुल **23 अभियुक्तों को गिरफ्तार** कर उनके कब्जे से **7644720/-रू0 की सम्पत्ति बरामद** की गयी।
- दक्षिणी जोन में कुल 28 घटनायें घटित हुयी है, घटना में संलिप्त अभियुक्तों की जानकारी कर कुल 38 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 424370/-रू0 की सम्पत्ति बरामद की गयी।
- पश्चिमी जोन में कुल 24 घटनायें घटित हुयी है, घटना में संलिप्त अभियुक्तों की जानकारी कर **पुलिस मुठभेड के दौरान 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार** करने के साथ-साथ कुल 35 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से **329040/-रू0 की सम्पत्ति बरामद** की गयी।

✓ इस प्रकार जनपद में घटित **कुल-107 घटनाओं** में संलिप्त **कुल 162 अभियुक्तों** को गिरफ्तार किया गया जिसमें से **14 शातिर अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड के दौरान गिरफ्तार** किया गया है, जिनके **कब्जे से कुल 96 लाख 21 हजार से अधिक रूपयों की सम्पत्ति** बरामद की गयी है।

उपरोक्त घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तो के विरूद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत **गैंगेस्टर एक्ट** तथा धारा-107 बीएनएसएस के अन्तर्गत उनके द्वारा अपराध से अर्जित की गयी अवैध सम्पत्ति की जानकारी कर मा0 न्यायालय को रिपोर्ट प्रेषित करते हुये सम्पत्ति कुर्की की कार्यवाही की जा रही है साथ ही साथ **लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस द्वारा जनपद में अपराध एंव अपराधियो के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही के फलस्वरुप संगठित अपराध पूर्ण नियन्त्रण में है और अन्य अपराधो में निरन्तर कमी आ रही है इतना ही नहीं अभियोजन स्तर पर प्रभावी पैरवी कर आरोपियो के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करते हुये सजा दिलवायी जा रही है।**